मोनी शंकर

बनाम

भारत संघ व अन्य

(सिविल अपील सं.1729/2008)

04 मार्च 2008

[एस.बी.सिन्हा और वी.एस.सिरपुरकर जे.जे.]

सेवा कानुन- जाल बिछाया गया- विभागीय कार्यवाहियों की शुरूआत- दोषी कर्मचारी को दोषी पाया गया-विभागीय अपील और पुनर्विलोकन को खारिज करना-केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण-अनुमति दी गई-उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका यह कहते हुये खारिज करना कि साक्ष्य की पुनः सराहना उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति योग्य नही थी-अपील मानी गई-अधिकरण का आदेश उचित है- ट्रैप के संचालन में रेलवे नियमावली की शर्तों का अनुपालन नही किया गया और प्रासंगिक अनुशासन नियमों के संदर्भ में दोषी कर्मचारी की जांच नही की गई थी-नियमावली की शर्तों का उल्लंघन, कार्यकारी निर्देश होने के नाते, हालांकि कोई विधिक अधिकार सृजित नही करते हैं लेकिन उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज नही किया जा सकता-हालांकि सबूतों की पुनः सराहना अधिकरण के क्षेत्र में नही है, लेकिन इस सवाल पर विचार कर सकते हैं कि क्या अपराध के निष्कर्ष

तक पहुंचने के लिये सबूत पर्याप्त थे- कुछ पहलुओं पर तथ्यों की न्यायिक समीक्षा भी स्वीकार्य है-उच्च न्यायालय ने बिना किसी तथ्यात्मक आधार के कर्मचारी के खिलाफ गलत अनुमान लगाया- तथ्य धारा 57 साक्ष्य अधि. के दायरे में नही आते- भारतीय सतर्कता नियमावली का न्यायिक संज्ञान नही लिया जा सकता- अनुच्छेद 704 और 705- रेलवे कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम आर-9-(21)-न्यायिक समीक्षा- साक्ष्य अधिनियम, 1872- एस.57

अपीलकर्ता केन्द्रीय सरकार ने एक आरक्षक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। फर्जी जांच के दोरान उसे फर्जी यात्री को जारी किये गये टिकट पर पांच रूपये की अधिक राशि की वसूली करते पाया गया। उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें उसे दोषी पाया गया। उसके वेतन को न्यूनतम वेतनमान तक कम करने का दंड दिया गया। विभागीय अपील के साथ-साथ पुनरीक्षण भी खारिज कर दी गई। अपीलकर्ता ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया। अधिकरण ने यह कहते हुये अनुमति दे दी कि मामले के तथ्य में यह नही कहा जा सकता कि आरोप साबित हुये हैं, कि रेलवे सतर्कता नियमावली के अनुच्छेद 704 और 705 का अनुपालन नही करके जाल बिछाया गया था; और रेलवे सेवक (अनुशासन और अपील) नियम 9 (21) के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन नही किया गया। प्रतिवादी-राज्य ने रिट

याचिका दायर की, कि अधिकरण ने अपने मूल आदेश को साक्ष्य के दायरे में प्रवेश कर लिया है और उसकी फिर से सराहना की है, जो उसके अधिकार क्षेत्र से परे है। इसलिये वर्तमान अपील।

न्यायालय ने अपील की अनुमति दी।

अभिनिर्धारित 1.1 रेलवे सतर्कता नियमावली की शर्तों के अनुरूप जाल नही बिछाया गया था। जांच अधिकारी ने एक अभियोजक के रूप में कार्य किया, न कि एक स्वतंत्र अर्धन्यायिक प्राधिकारी के रूप में; उन्होंने रेलवे सेवक (अनुशासन और अपील) नियमों के नियम 9(21) का पालन नही किया, जाहिर है इसलिये यह ऐसा मामला नही था, जहां अधिकरण के आदेश में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। {अनुच्छेद 27} {887-सी-डी}

1.2 हालांकि नियमावली के अनुच्छेद 704 और 705 कार्यकारी निर्देश होने के कारण कोई कानुनी अधिकार नही बनाते हैं, लेकिन अन्य कारकों के साथ दिशा-निर्देशों के सम्पूर्ण उल्लंघन को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या विभाग सक्षम है, दोषी अधिकारी के विरूद्ध आरोप सिद्ध करें। विभाग की कार्यवाही अर्धन्यायिक है। हालांकि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान कार्यवाही पर लागु नही होते हैं लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन आवश्यक है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालय इस बात

पर विचार करने के हकदार है कि क्या किसी अपराधी अधिकारी की ओर से कदाचार का अनुमान लगाते समय प्रासंगिक सबूतों पर विचार किया गया है और अप्रासंगिक तथ्यों को उसमें से बाहर रखा गया है। तथ्यों पर अनुमान उन साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिये जो कानुनी सिद्धांतों की आवश्यकताओं को पूरा करते हों। इस प्रकार, अधिकरण इस आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने का हकदार था कि विभाग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, भले ही इसे अंकित मुल्य पर पूरी तरह से सही माना जाये, सबूत के भार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अर्थात्-प्रधानता संभाव्यता का यदि ऐसे साक्ष्यों पर, अनुपातिकता के सिद्धांत का परीक्षण संतुष्ट नही हुआ है, तो अधिकरण हस्तक्षेप करने के लिये अपने क्षेत्र में था। अनुचितता का सिद्धांत अनुपातिकता के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। {अनुच्छेद 15} {883-ई-एच;884-ए,बी}

यूपी राज्य बनाम श्योशंकर लाल श्रीवास्तव 2006 (3) सी.सी. 276; कोयम्बटूर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक बनाम डी.कोयम्बटूर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी संघ और अन्य। 2007(4) एस.सी.सी 669 2007; ई बनाम गृहविभाग के राज्य सचिव 2004(2) एल.आर.1351-विश्वास किया।

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, दक्षिण केन्द्रीय रेलवे सिकंदराबाद और अन्य बनाम जी.रतनम और अन्य 2007(8) एस.सी.सी.2012-संदर्भित।

1.3 अधिकरण इस सवाल पर विचार करने का हकदार था कि क्या

विभाग द्वारा दिये गये सबूत दोषी अधिकारी के अपराध या अन्यथा निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये पर्याप्त थे। हालांकि साक्ष्य की पुनः सराहना अधिकरण के क्षेत्र में नही है, गवाह के बयान से उत्पन्न एक बेतुकी स्थिति पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जा सकता है। जिस तरह से जाल बिछाया गया, हैड कांस्टेबल द्वारा देखा गया और जांच कार्यवाही की वैद्यता निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा थी और इस प्रकार अधिकरण उस पर विचार करने का हकदार था। {अनुच्छेद 21} {885-ई, एफ, जी}

1.4 यह हो सकता है कि रेलवे नियमावली के अनुच्छेद 704 और 705 में निहित निर्देश सतर्कता विभाग के अनुपालन के लिये थे, भले ही वह चरित्र में अनिवार्य न हो, लेकिन उनका पर्याप्त अनुपालन आवश्यक था। विभागीय निर्देश को पूरी तरह से नजरअंदाज नही किया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय के सामान्य नियमों का पालन किया गया है या नहीं, इस पर निर्णय लेने के उद्देश्य से अधिकरण रिकार्ड पर लाई गई अन्य सामग्रियों के साथ इस पर विचार करने का हकदार था। {अनुच्छेद 21} {885-जी, एच; 886-ए}

1.5 उच्च न्यायालय में रिकार्ड पर किसी भी सामग्री के बिना भी माना कि अपीलकर्ता के पास से कुछ अतिरिक्त राशि पाई गई थी जो यह अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त थी कि यह फर्जी यात्री से बरामद की गई थी। ऐसा कोई अनुमान नही लगाया जा सकता। किसी भी घटना में उक्त

निष्कर्ष निकालने के लिये विभाग द्वारा रिकार्ड पर कोई सामग्री नही लाई गई थी। उच्च न्यायालय स्वयं न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर रहा था। बिना किसी तथ्यात्मक आधार के कोई भी अनुमान नही लगाया जा सकता था। उस तथ्य का न्यायिक अविक्षा नही ले सकता था, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के दायरे में नही आता था। {अनुच्छेद 21} {886-बी, सी, डी}

1.6 उच्च न्यायालय ने नियमावली के केवल अनुच्छेद केवल 704 पर ध्यान दिया है, न कि उसके अनुच्छेद 705 पर। अनुच्छेद 705 बहुत प्रासंगिक था और किसी भी स्थिति में दोनों प्रावधानों को एक साथ पढा जाना आवश्यक था। उच्च न्यायालय ने नियमावली के अनुच्छेद 705 पर विचार न करके गंभीर त्रुटि की। यदि किसी रेलवे कर्मचारी को गलत फंसाने से बचने के लिये सुरक्षा उपाय प्रदान किये गये हैं तो उसमें निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज नही किया जा सकता। {अनुच्छेद 23} {88-ई, एफ}

1.7 उच्च न्यायालय ने अपने सामने एक गलत प्रश्न रखा। रिजर्व पुलिस बल (जिन्होंने जाल बिछाया) के खिलाफ किसी भी तरह का पूर्वाग्रह साबित करने की जिम्मेदारी अपीलकर्ता पर नही थी, बल्कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाये गये आरोपों को स्थापित करने की जिम्मेदारी विभाग की थी। {अनुच्छेद 24} {886-जी}

1.8 उच्च न्यायालय ने यह राय देकर भी गंभीर गलती की कि रेलवे सेवकों (अनुशासन और अपील) नियमों के उपनियम (21) पीएफ नियम 9 अनिवार्य नही थे। जिस उद्देश्य के लिये उप-नियम बनाया गया है, वह स्पष्ट और स्पष्ट हैं। रेल कर्मचारी को उसके विरूद्ध आने वाली परिस्थितियों में स्पष्टीकरण देने का अवसर मिलना चाहिये। इस मामले में उन्हें उक्त अवसर से वंचित कर दिया गया है। यह तय करने के लिये कि क्या विभागीय कार्यवाही दूषित हुई या नही, अवैधताओं/अनियमितताओं के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखना आवश्यक था। {अनुच्छेद 25 और 26} {887-ए, बी}

सिविल अपील क्षेत्राधिकार 2008 की सिविल अपील सं. 1729

अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 08.03.2006 से बाॅम्बे न्याधिकरण उच्च न्यायालय, डब्ल्यू.पी. क्रमांक 3748/2003

अपीलकर्ता की ओर से ए.के सांघी

डाॅ. आर.जी पाडिया, डी.एस. मेहरा, सुनीता रानी सिंह, सुनील राॅय एवं ललित श्रीवास्तव प्रतिवादीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एस.बी.सिन्हा जे.1 अनुमति दी गई।

2. यह अपील रिट याचिका संख्या 2003 का 3748 में बाॅम्बे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित 08.03.2006 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है। जिसके तहत इसमें उत्तरदाताओं द्वारा ओ.ए. मे केन्द्रीय प्रशासनिक न्याधिकरण, 2002 के ओ.ए.2002 का 283 में मुम्बई पीठ द्वारा पारित 06.01.2003 के फैसले और आदेश से दायर रिट याचिका को अनुमति दी।

3. अपीलकर्ता यहां केन्द्रीय रेलवे में बुकिंग पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत था। उन्हें दिसंबर 1997 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में स्थानांतरित कर दिया गया था। 17.04.1998 को या उसके पास एक फर्जी चैक लगाया गया था, जिसमे पाया गया कि उन्होंने एक फर्जी यात्री को जारी किये गये टिकट पर पांच रूपये की अधिक राशि वसूल की थी। एक विभागीय कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें निम्न आरोप लगाये गये

> ''अनुच्छेद -I: उसने भुवनेश्वर के लिये एक एम/ई टिकट सं. 8148090 एक्ससीएसटीएम जारी करने पर नकली यात्री से 5/- (पांच) रूपये अधिक वसूल किये।
>
> अनुच्छेद - II: उनके रेलवे कैश में 199/- (एक सौ निन्यानवे) रूपये कम पाये गये।

अनुच्छेद - III: उन्हें निजी नकदी रजिस्टर में पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित किये बिना, कम्प्यूटर में एच.एस.आई निजी नकदी की घोषणा की, जो संतोषजनक कर्मचारियों के लिये मौद्रिक सीमा है।"

4. उक्त विभागीय कार्यवाही में, अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ रेलवे सतर्कता नियमावली (नियमावली) के अनुच्छेद 704 और 705 का अनुपालन न करने के संबंध में एक विवाद उठाया, जिस तरीके से कथित जाल बिछाया गया। इसके अलावा यह भी संतोष व्यक्त किया गया कि रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियमों के नियम 9(21) के प्रावधानों का अनुपालन नही किया गया।

5. उक्त विभागीय कार्यवाही में अपीलार्थी को उक्त आरोपों का दोषी पाया गया। 5 साल की अवधि के लिये उनके वेतन को न्युनतम स्तर पर 3,200/- तय करते हुये न्युनतम वेतनमान में कटौती का जुर्माना लगाया गया था। एक अपील और परिणामस्वरूप उसके द्वारा किये गये पुनरीक्षण को अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी ने क्रमशः 31.05.2000 और 07.11.2000 के आदेशों द्वारा खारिज कर दिया।

6. उसने मुम्बई पीठ के केन्द्रीय प्रशासनिक न्याधिकरण के समक्ष एक ओ.ए. दायर किया। इसे ओ.ए संख्या 2002 के 283 के रूप में

पंजीकृत किया गया।

06 जनवरी 2003 के एक निर्णय और आदेश के आधार पर यह राय दी गई कि नियमावली के अनुच्छेद 704 और 705 के संबंध में स्वतंत्र गवाह या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में और केवल प्रमुख के रूप में जाल बिछाया जाना चाहिये था। आर.पी.एफ के कांस्टेबल और दो राजपत्रित अधिकारियों को जाल देखने के लिये नियुक्त नही किया गया था और इसके अलावा हैड कांस्टेबल 30 मीटर से अधिक की दूरी पर था। वह अपीलकर्ता और फर्जी यात्री के बीच की बातचीत नही सुन सका और इस प्रकार यह नही कहा जा सकता है कि आरोप सिद्ध हो गये हैं। इसके अलावा यह पाया गया कि नकली यात्री ने न तो खिडकी पर पैसे गिने और न ही विरोध किया कि शेष राशि पांच रूपये कम थी और वास्तव में उसने खिडकी छोड दी थी और सतर्कता निरीक्षक के साथ आधे घंटे बाद वापिस आया था, जिसने ईशारा किया था कि जाल में खामियों को दूर करें। यह बताया गया कि रेलवे सेवक (अनुशासन और अपील) नियम (नियम) के नियम 9(21) के प्रावधानों के अनुसार जांच अधिकारी के द्वारा अपीलकर्ता की जांच नही की गई थी जो कि प्रकृति में अनिवार्य है। यह भी माना गया कि शिकायतकर्ता को पांच रूपये कम लौटाने के आरोप के संबंध में कोई सबूत नही था।

7. अधिकरण के उक्त फैसल से दुखी और असंतुष्ट होकर

उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। 08 मार्च 2006 के आक्षेपित निर्णय के आधार पर, उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने यह कहते हुये अनुमति दी थी कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपने मूल आदेश में साक्ष्य के दायरे में प्रवेश किया और उसकी पुनः सराहना की, अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गया।

8. श्रीमान् ए.के सांघी अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि;-

1. उच्च न्यायालय ने एक गंभीर त्रुटि की है, क्योंकि वह इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि रेलवे अधिकारियों को नियमावली के अनुच्छेद 704 और 705 का ईमानदारी से पालन करना आवश्यक था।

2. अपीलकर्ता ने किसी भी बचाव गवाह की जांच नही की है, उसे नियमों के नियम 9(21) के अनुसार जांच की जानी चाहिये, जो प्रकृति में अनिवार्य है, इसका अनुपालन न करने से पूरी कार्यवाही दूषित हो जायेगी।

3. अपीलकर्ता द्वारा चुकाई गई नकदी की कमी के कारण उस संबंध में कोई आरोप तय नही किया सका।

4. उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता के पास

5/- रूपये की बकाया राशि थी, रिकार्ड से परे था।

9. डाॅ. आर.जी दूसरी और उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता पांडेया ने तर्क दियाः

1. अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा तथ्य का जो निष्कर्ष निकाला गया है, उसमें न्यायाधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नही किया जाना चाहिये, खासकर जब विभाग की ओर से कुछ सबूत पेश किये गये हों।

2. उच्च न्यायालय ने सही राय दी है कि जाल बिछाने के तरीके से संबंधित नियमावाली के अनुच्छेद 704 और 705 में केवल प्रशासनिक निर्देश हैं और इस प्रकार न्यायालय में लागु करने योग्य नही है।

3. चूंकि नियम 9(21) का पर्याप्त अनुपालन हुआ है, इसलिये आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप नही किया जाना चाहिये।

10. हम सब पहले यह नोटिस कर सकते हैं कि निर्देश कर्मचारियों को ऐसे जाल से बचाने की दृष्टि से रेलवे नियमावली में उचित सुरक्षा उपाय प्रदान किये गये हैं।

नियमावली के अनुच्छेद 704 और 705 इस प्रकार पढ़ेंः

" 704. जाल

(I)

(II)

(III)

(iv)

(v) जाल बिछाते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगाः

(ए) दो या दो से अधिक स्वतंत्र गवाहों को बातचीत सुननी चाहिये, जिससे यह स्थापित होना चाहिये कि धन को बचाव पक्ष को पूरा करने के लिये अवैध परितोषण के रूप में पारित किया जा रहा था, कि धन वास्तव में ऋण या कुछ और के रूप में पारित किया गया था, यदि अभियुक्त के द्वारा लगाया गया हो।

(बी) लेनदेन दो स्वतंत्र गवाहों के सामने और उनकी सुनवाई के भीतर होना चाहिये।

(सी) अवैध परितोषण पारित होने के तुरंत बाद अपराधी को रंगे हाथों पकडने का अवसर होना चाहिये ताकि वह इसे

निपटाने में सक्षम न हो सके।

(डी) चयनित गवाह जिम्मेदार गवाह होने चाहिये, जो विभाग या पुलिस के पहले के मामलों में गवाह के रूप में पेश नही हुये हों और अभियुक्त की स्थिति को देखते हुये, प्रतिष्ठित व्यक्ति हों। कर्मचारी और अन्य विभाग के सरकारी गवाहों को साथ ले जाना सुरक्षित हैं।

(ई) उपरोक्त शर्तों को पूरा करने के बाद जांच अधिकारी को डिकाॅय को एसपी/एसपी के पास ले जाना चाहिये और आवश्यक कार्यवाही के लिये उसे जानकारी देनी चाहिये। यदि एस.पी., एस.पी.ई, का कार्यालय नजदीक नही है और जाल बिछाने के लिये तत्काल कार्यवाही की आवश्यता है, तो स्थानीय पुलिस की मदद ली जा सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि जाल केवल स्थानीय पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा नही बिछाया जा सकता। एस.पी. या स्थानीय पुलिस अधिकारी को काम सौंपे जाने के बाद जाल बिछाने और उसके निष्पादन की सभी व्यवस्थायें की जानी चाहिये। उनके द्वारा किया गया, उन्हें आवश्यक सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिये।

(vi)

(vii)

विभागीय जाल

विभाग के जालों के लिये अनुच्छेद 704 के तहत दिये गये निर्देशों के अलावा निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिये।

(ए) जांच अधिकारी/निरीक्षक को जहां तक संभव हो, स्वतंत्र गवाह के रूप में कार्य करने के लिये रेलवे से दो राजपत्रित अधिकारियों की व्यवस्था करनी चाहिये। हालांकि, कुछ असाधारण मामलों में जहां दो राजपत्रित अधिकारी तंरतु उपलब्ध नही है, अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

सभी कर्मचारियों, विशेष रूप से, राजपत्रित अधिकारियों को, जहां भी कोई अधिकारी या शाखा उनसे सम्पर्क करती है, उनकी सहायता करनी चाहिये और जाल का गवाह बनना चाहिये। मुख्य शाखा जाल के स्थान पर उपस्थित होने के लिये एक उपयुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों का विवरण देती है। बिना उचित कारण/बिना पर्याप्त कारण के किसी जाल में फंसने में सहायता करने या उसे देखने से इन्कार करने

को कर्तव्य का उल्लंघन माना जा सकता है, जिससे वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी हो सकता है।

(बी) फर्जी उस पैसे को पेश करेगा जिसे वह दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को मांगने पर रिश्वत के पैसे के रूप में देगा। जांच अधिकारी/निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहों और फर्जी की उपस्थिति में कानुनी और अवैध लेनदेन के लिये जी.सी. नोटो की संख्या दर्शाते हुये एक ज्ञापन तैयार किया जाना चाहिये। इस प्रकार तैयार किये गये ज्ञापन पर फर्जी, स्वतंत्र गवाह और जांच अधिकारी/निरीक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिये। जी.डी. नोट्स को फर्जी को लौटाने के लिये एक और ज्ञापन, अपराधी कर्मचारी को मांग पर जी.डी. नोट्स सौंपने के लिये तैयार किया जायेगा। इस ज्ञापन में फर्जी, गवाहों और जांच अधिकारी/निरीक्षक के भी हस्ताक्षर होने चाहिये। स्वतंत्र गवाह ऐसी स्थिति में काम करेगे, जहां से वह लेनदेन को देख सके और धोखेबाज और अपराधी के बीच की बातचीत को भी सुन सकें ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सकें कि रिश्वत के रूप में पैसे की मांग की गई, दी गई और स्वीकार की गई, यह एक तथ्य है। वह बाद की तारीख में विभागीय कार्यवाही में गवाही देंगे। पैसा

हस्तांतरित होने के बाद जांच अधिकारी/निरीक्षक को पहचान का खुलासा करना चाहिये और गवाहों की उपस्थिति में निजी और रिश्वत के पैसे सहित सभी पैसें पेश करने की मांग करनी चाहिये। फिर उत्पादित कुलधन को प्रासंगिक रिकार्ड से सत्यापित किया जायेगा और धन की जब्ती के लिये ज्ञापन और सत्यापन विवरण तैयार किया जायेगा। बरामद नोटों को गवाहों, फर्जी और अभियुक्त के साथ-साथ उसके तत्काल वरिष्ठ की उपस्थिति में एक लिफाफे में सील करके रखा जायेगा, जिसे अभियुक्त के द्‌वारा रिकवरी मेमो पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने की स्थिति में गवाह के रूप में बुलाया जाना चाहिये और नोटों को लिफाफे में सील कर दिया जायेगा।

(सी) xxx

(डी) xxx"

11. रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ) के सदस्यों ने जाल बिछाया था। यह एक पूर्व व्यवस्थित जाल था। इसलिये यह ऐसा मामला नही था, जिससे असाधारण कहा जा सके, जहां स्वतंत्र गवाह के रूप में दो राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध नही थे।

12. निसंदेह फर्जी यात्री आर.पी.एफ का एक कांस्टेबल था। उक्त संगठन से केवल एक हैड कान्सटेबल को आॅपरेशन देखने के लिये नियुक्त किया गया था। इस प्रकार गवाहों की संख्या 2 के स्थान पर न केवल एक थी, बल्कि एक अराजपत्रित अधिकारी भी था। यह एक पूर्व नियोजित जाल था और इस प्रकार स्वतंत्र गवाह भी उपलब्ध कराये जा सकते थे।

13. जब फर्जी यात्री ने टिकट खरीदा तो हैड कांस्टेबल 30 मीटर दूरी पर खडा था, बुकिंग काउण्टर पर काफी भीड थी। यहां आमतौर पर भीडभाड रहती है। जांच अधिकारी के समक्ष, उक्त नकली यात्री ने स्वीकार किया कि उसने टिकट खरीदने के बाद अपीलकर्ता से प्राप्त शेष राशि की गिनती नही की थी, केवल आधे घंटे बाद ही सतर्कता टीम पहुंची और उसने अपीलकर्ता की तलाशी ली।

14. जब हम ऐसा कहते है तो हमें रिकार्ड पर रखना चाहिये कि यह अदालत मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद और अन्य में है। बनाम जी. रत्नम और अन्य।: (2007)8 एससीसी 212 ने राय दी कि सतर्कता नियमावली के अनुच्छेद 704 और 705 में निर्धारित निर्देशों का पालन न करने पर उसे अमान्य नही किया जायेगा।

> "17. अब हम जांच करेंगे कि क्या तथ्यों और रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अनुच्छेद 704 और 705 में

दिये गये निर्देशों का पालन न करने से प्रतिवादी के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही अमान्य हो जायेगी और जुर्माना लगाया जायेगा। अधिकारियों द्वारा उत्तरदाताओं पर जैसा कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में कहा था, इसमें कोई विवाद नही है कि जांच अधिकारियों द्वारा विभागीय जाल तब बिछाया गया था जब उत्तरदाता आधिकारिक ड्यूटी पर एक गन्तव्य से दूसरे गन्तव्य तक जाने वाली ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे। अधिकरण ने अपने आदेश में पाया कि जांच अधिकारियों द्वारा तैनात फर्जी यात्री आर.पी.एफ कांस्टेबल थे, जिनकी उपस्थिति में उत्तरदाताओं ने कथित तौर पर यात्रियों को स्लीपर क्लास, आरक्षण, आवास आदि की व्यवस्था करने के लिये अतिरिक्त राशि एकत्र की थी और प्रतिवादी को आरपीएफ द्वारा देखा गया था। कांस्टेबल मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिकरण में माना कि जांच अधिकारियों द्वारा सतर्कता नियमावली 1996 के अनुच्छेद 704 और 705 में निहित अनिवार्य निर्देशों का उल्लंघन करके जांच की गई थी, जिसके आधार पर पूछताछ अधिकारियों ने जांच की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप अंततः रेलवे प्राधिकरण द्वारा उत्तरदाताओं पर जुर्माना लगाया गया था। उच्च

न्यायालय अपने आक्षेपित निर्णय में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विभागीय जाल में किसी भी गवाह के शामिल न होने की स्थिति में जांच रिपोर्ट अपर्याप्त पाई जाती है और जहां ऐसे विभागीय जाल मामलों से संबंधित निर्देशों का पूरी तरह से पालन नही किया जाता है, वहां सजा दी जाती है। ऐसे दोषपूर्ण जाल कानुन के तहत टिकाउ नही है। उच्च न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामलों में सतर्कता विंग से जुडे कुछ आरपीएफ कांस्टेबलों और रेलवे कर्मचारियों की सेवा का उपयोग फर्जी यात्री के रूप में किया गया था और वह जाल में गवाह के रूप में भी जुडे थे। आरपीएफ कांस्टेबलों को किसी भी माइने में स्वतंत्र गवाह नही कहा जा सकता है

और विभागीय जाल मामलों की जांच में जांच अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र गवाहों को शामिल न करने से जांच अधिकारियों के समक्ष अपने बचाव में उत्तरदाताओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है।

18. हम इस बात से सहमत नही है कि सतर्कता नियमावली के अनुच्छेद 704 और 705 में निहित अनिवार्य निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन न करने से रेलवे

प्राधिकरण द्वारा उत्तरदाताओं को खिलाफ शुरू की गठ विभागीय कार्यवाही प्रभावित हुई है। हमारे विचार में ऐसी खोज और तर्क पूरी तरह से अनुचित है और इन्हें कायम नही रखा जा सकता है।"

उस निर्णय में यह देखा गया है कि अनुच्छेद 704 और 705 जांच अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को अंतर्गत है, जिन्हें रेलवे अधिकारियों के खिलाफ ट्रैप मामलों और विभागीय ट्रैप मामलों की जांच का काम सौंपा गया है। यह अदालत इस आधार पर आगे बढी की कि कार्यकारी आदेश किसी भी व्यक्ति को कानुनी रूप से लागु करने योग्य अधिकार प्रदान नही करते हैं और उन अधीनस्थ प्राधिकारियों पर कोई कानुनी दायित्व नही डालते हैं जिनके मागदर्शन के लिये वे जारी किये गये हैं।

15. जैसा कि यहां पहले देखा गया है कि हम इस धारणा पर आगे बढे हैं कि उक्त नियमावली कार्यकारी निर्देश होने के कारण कोई कानुनी अधिकार नही बनाते हैं, लेकिन हम इस बात पर जोर देना चाहते है कि अन्य कारकों के साथ-साथ दिशानिर्देशों के कुल उल्लंघन को इस उद्देश्य के लिये ध्यान में रखा जा सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि क्या विभाग दोषी अधिकारी के खिलाफ आरोपों को साबित करने में सक्षम है। विभागीय कार्यवाही अर्धन्यायिक है। यद्यपि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान

उक्त कार्यवाही में लागु नही होते हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालय को इस बात पर विचार करने का अधिकार है कि क्या किसी अपराधी अधिकारी की ओर से कदाचार का अनुमान लगाते समय प्रासंगिक साक्ष्य को ध्यान में रखा गया है और अप्रासंगिक तथ्यों को उसमे से बाहर रखा गया है। तथ्या का अनुमान उन साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिये जो कानुनी सिद्धांतों की आवश्यकताओं को पूरा करते हों। इस प्रकार अधिकरण इस आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने का हकदार था कि विभाग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य भले ही उसे अंकित मुल्य पर पूरी तरह से सही माना जाये। अर्थात संभाव्यता के प्रधानता, सबूत के भार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यदि ऐसी साक्ष्यों पर अनुपातिकता के सिद्धांत का परीक्षण संतुष्ट नही हुआ है, तो अधिकरण हस्तक्षेप करने के लिये अपने क्षेत्र में था। हमें रिकार्ड में रखना चाहिये कि अनुचितता का सिद्धांत आनुपातिकता के सिद्धांत को रास्ता दे रहा हो। (देखें उत्तरप्रदेश राज्य बनाम श्योशंकरलाल श्रीवास्तवः(2006)) 3 एससीसी 276 और कोयम्बटूर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक बनाम कोयम्बटूर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी संघ और अन्यः(2007)4 एससीसी 669 2007

16. हमें यह भी रिकार्ड में रखना चाहिये कि कुछ पहलुओं पर तथ्यों की न्यायिक समीक्षा भी स्वीकार है। ई बनाम गृह विभाग के राज्य सचिव

17 डाॅ. पाडेंया के द्वारा एस.बी सिंह के साक्ष्य के माध्यम से हमें लिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य परीक्षा का संचालन स्वयं जांच अधिकारी द्वारा किया गया था। चूंकि कार्यवाही एक बडा जुर्माना लगाने के लिये थी, तो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी जिसे विभाग द्वारा नियुक्त किया गया होगा, ने गवाह की जांच क्यों नही की। यह किसी भी समझ से परे है। यहां तक कि जिस तरीके से मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके संबंध में न्यूनतम सुरक्षा भी संरक्षित नही की गई है। उनसे पूछे गये प्रश्न प्रमुख प्रश्न थे। यह ध्यान रखना रोचक है कि एक सवाल के जवाब में कि क्या उन्होंने अपीलकर्ता से पांच रूपये वापिस करने के लिये कहा था, उन्होंने न केवल नकारात्मक जवाब दिया बल्कि उनके अनुसार उक्त बयान उन्होंने सतर्कता निरीक्षक के अनुसार दिया था।

18 जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता से निम्न प्रश्न पूछे थेः

> " सभी गवाहों को सुनने के बाद, कृपया बताये कि क्या आपने अपना दोष स्वीकार किया है? कृपया बताये कि क्या आपको इस स्तर पर अपने बचाव में किसी अतिरिक्त दस्तावेज/गवाह की आवश्यकता है? क्या आप अपना मौखिक बचाव या लिखित बचाव संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं? क्या आप जांच कार्यवाही से संतुष्ट हैं और

क्या मैं जांच समाप्त कर सकता हूं?"

19 ऐसे प्रश्न नियमों के नियम 9(21) का अनुपालन नही करते हैं। अपीलकर्ता के खिलाफ कौन सी परिस्थितियां सामने आई, इसका खुलासा नही किया गया है।

20 दूसरी और जैसा कि यहां पहले संकेत दिया गया है, उच्च न्यायालय ने यह राय दी कि न्यायाधिकरण ने साक्ष्य के दायरे में प्रवेश करके गंभीर और अवैद्यता की है। वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन किया गया था या नही, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से साक्ष्य लेना कानुन में स्वीकार्य है।

21 डाॅ. पाडिया का कहना था कि अधिकरण का अधिकार क्षेत्र सीमित था और चूंकि कुछ सबूत पेश किये गये थे, इसलिये अधिकरण को अपीलकर्ता पर लगाये दंड के आदेश में हस्तक्षेप नही करना चाहिये था।

अधिकरण इस सवाल पर विचार करने का हकदार था कि क्या विभाग द्वारा दिये गये साक्ष्य अपराधी अधिकारी के अपराध या अन्यथा के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये पर्याप्त थे। हालांकि साक्ष्य की पुनः सराहना अधिकरण के क्षेत्र में नही है, एक गवाह के बयान से उत्पन्न बेतुकी स्थिति पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जा सकता है। जिस तहर से जाल बिछाया गया, हैड कांस्टेबल द्वारा देखा गया और जांच कार्यवाही की

वैद्‌यता निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा थी और इस प्रकार अधिकरण इस पर विचार करने का हकदार था।

यह केवल उपरोक्त उद्‌देश्य के लिये था कि नियमावली के अनुच्छेद 704 और 705 को लागु किया गया है। ऐसा हो सकता है कि उक्त निर्देश सतर्कता विभाग के अनुपालन के लिये थे। लेकिन उनका पर्याप्त अनुपालन आवश्यक था, भले ही वह चरित्र में अनिवार्य न हो। विभागीय निर्देश को पूरी तरह से नजरअंदाज नही किया जा सकता। प्राकृतिक न्याय के सामान्य नियमों का पालन किया गया है या नही, इस पर निर्णय लेने के उद्‌देश्य से अधिकरण रिकार्ड पर लाई गई अन्य सामग्रियों के साथ इस पर विचार करने का हकदार था।

21. उच्च न्यायालय में दुर्भाग्य से रेकार्ड पर किसी भी सामग्री के बिना भी यह माना कि फर्जी यात्री से कुछ अतिरिक्त राशि बरामद की गई थी। ऐसा कोई अनुमान नही लगाया जा सकता, किसी भी स्थिति में कोई ठोस निष्कर्ष नही निकला। उच्च न्यायालय स्वयं एक ऐसे तथ्य की न्यायिक सूचना की शक्ति का प्रयोग कर रहा था जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के दायरे में नही आता था।

22. हमे यह भी रेकार्ड में रखना चाहिये कि डाक्टर पाण्डिया ने हमें एक गवाह के साक्ष्य से अवगत कराया है।

23. उच्च न्यायालय ने नियमावली के केवल अनुच्छेद 704 पर ध्यान दिया है उसके अनुच्छेद 705 पर नही। अनुच्छेद 705 बहुत प्रासंगिक था और किसी भी स्थिति में दोनो प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाना आवश्यक था।

इस प्रकार उच्च न्यायालय में नियमावली के अनुच्छेद 705 पर विचार न करके एक गंभीर त्रुटि की।

हमारी राय में, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण पूरी तरह से सही नही था। यदि किसी रेल्वे कर्मचारी को गलत फंसाने से बचने के लिये सुरक्षा उपाय प्रदान किये जाते है, तो उसमें निर्धारित प्रकियाओं को पूरी तरहे से नजरंअदाज नही किया जा सकता।

24. यह उच्च न्यायालय ही है जिसने अपने सामने एक गलत प्रश्न रखा। आर.पी.एफ. के खिलाफ किसी भी पूर्वाग्रह को साबित करने की जिम्मेदारी अपीलकर्ता पर नही थी बल्कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाये गये आरोपों को स्थापित करने की जिम्मेदारी विभाग की थी।

25. उच्च न्यायालय ने यह राय देकर भी गंभीर त्रुटि की कि नियमों के नियम 9(21) अनिवार्य नही था। जिस उद्वेश्य के लिये उप नियम बनाया गया था वह स्पष्ट और स्पष्ट है। रेल्वे कर्मचारी को उसके विरूद्व दिखाई देने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर मिलना चाहिये।

मामले में उन्हे उक्त अवसर से वंचित कर दिया गया है।

26. विभागीय कार्यवाही दूषित हुई या नही, इसका निर्णय करने के लिये अवैधताओं/ अनियमितताओं के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखना आवश्यक था।

27. उपरोक्त उद्वेश्य के लिये, जिस तरीके से जाॅच की कार्यवाही की गई थी, उस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक था। नियमावली के अनुसार जाल का संचालन नही किया गया था ; जाॅच अधिकारी ने एक अभियोजक के रूप में कार्य किया, न कि एक स्वतंत्र अर्धन्यायिक प्राधिकारी के रूप में ; उन्होने स्पष्ट रूप से नियमों के नियम 9(21) का पालन नही किया, इसलिये यह ऐसा मामला नही था जहाॅ उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।

27. इसलिये, आक्षेपित निर्णय को बरकरार नही रखा जा सकता है, इसे तद्नुसार रद्वद कर दिया जाता है और न्यायाधिकरण का सहारा लिया जाता है। खर्चो सहित अपील स्वीकार की जाती है। परामर्श शुल्क 25,000 रूपये निर्धारित।

के.के.टी. अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस टूल (सुवास) की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंजू कुमारी (आर0 जे0 एस0) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्वेश्य के लिये इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्वेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्वेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।